भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 5898

(जिसका उत्तर गुरुवार, 2 मई, 2013/12 वैशाख, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में कर्मचारियों की कमी</u>

5898. श्री एन.एस.वी. चित्तन :

श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारेंसिक लेखा परीक्षा, कर एवं पूंजी बाजार आदि की जांच के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में विशेषज्ञ कर्मचारियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख) : गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में न्यायिक लेखापरीक्षा, कर तथा पूंजी बाज़ार विषयों से संबंधित विशेषज्ञों की कुछ रिक्तियां हैं। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में सभी पद मुख्यत: प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाते हैं। इन पदों को भरने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) : फिलहाल वर्तमान स्वीकृत संख्या को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रिक्तियों को भरने के लिए, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा प्रमुख समाचार-पत्रों/रोजगार समाचार में इन पदों के लिए नियमित रूप से विज्ञापन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान भर्ती नियमों में संशोधन हेतु एक प्रस्ताव कार्मिक विभाग तथा वित्त मंत्रालय को भेजा गया है ताकि

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय अन्य तरीके से भर्ती शुरू कर सके। मंत्रालय द्वारा इन रिक्तियों को अविलंब भरने हेतु भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

*****